हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

10 06/24 पत्रावली पेश हुई।
वकील वादी उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेधारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए है तथा वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भागली तहसील बाली की खसरा संख्या 131 रकबा 2.29 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक–पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	चन्द्रदीपसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 2/3, रवीनासिंह देवडा पुत्री चन्द्रदीपसिंह देवडा हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	1.0671	जा.दो.	11.7781	पीला
	योग	1	1.0671		11.7781	
2	भवानीसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	आसमानी
	योग	1	0.3557		3.9127	
3	बच्चु कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	केसरीया
	योग	1	0.3557		3.9127	
4	कंचन कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	हरा
		1	0.3557		3.9127	
5	पवन कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3558	जा.दो. 0.2500 जा.दो. 0.1058	8.00 +1.1638 =9.1638	जामुनी
	योग	5	2.4900	–	32.64	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-24 को सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक अधिकारी बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. चन्द्रदीपसिंह पुत्र मोहनसिंह,
2. रविना सिंह देवडा पुत्री चन्द्रदीपसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भवानीसिंह पुत्र मोहनसिंह,
2. बच्चु कंवर पुत्री मोहनसिंह,
3. कंचन कंवर पुत्री मोहनसिंह,
4. पवन कंवर पत्नि स्व. मोहनसिंह, जातिगण राजपूत निवासी वेलार तहसील बाली जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदारजी बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/85
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादी स. 01 अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिंगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 131 रकबा 2.2900 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :–

क.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकवा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	चन्द्रदीपसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 2/3, रवीनासिंह देवडा पुत्री चन्द्रदीपसिंह देवडा हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	1.0671	जा.दो.	11.7781	पीला
	योग	1	1.0671		11.7781	
2	भवानीसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	आसमानी
	योग	1	0.3557		3.9127	
3	बच्चु कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	केसरीया
	योग	1	0.3557		3.9127	1
4	कंचन कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत, सा. देह खातेदार	131	0.3557	जा.दो.	3.9127	हरा
		1	0.3557		3.9127	
5	पवन कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत, सा देह खातेदार	131	0.3558	जा.दो. 0.2500 जा.दो. 0.1058	8.00 +1.1638 =9.1638	जामुनी
	योग	5	2.4900	–	32.64	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

आदेश मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-06-24 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. चन्द्रदीपसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. रविना सिंह देवडा पुत्री चन्द्रदीपसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भवानीसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. बच्चु कंवर पुत्री मोहनसिंह
3. कंचन कंवर पुत्री मोहनसिंह
4. पवन कंवर पत्नी स्व. मोहनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली तहसील बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/85
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 131 रकबा 2.4900 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम लगान 32.64 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज वादी संख्या 01 का 2/7 हिस्सा एंव वादी संख्या 02 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाये 04 (प्रत्येक का) 1/7 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.न. /न्याय/स्था./प–51/2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेंगे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 21.05.2024 को पेश हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.2024 को जारी किया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली